कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा।

सूचना अधिकार अधिनियम–2005

सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(b) के अनुसार जनपद अमरोहा के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है –

पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में पुलिस अधीक्षक उस राज्य सरकार में निहित होगा, जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धो के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियंत्रित करने के लिये सशक्त नही किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गो में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों और जुलूसो को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वाजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद पुलिस, पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है जनपद में 01 अपर पुलिस अधीक्षक, 06 पुलिस उपाधीक्षक व 16 थानाध्यक्षो के पद सृजित है।

1.1 जनपद में पुलिस का संगठन –

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है–

अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी	थाना क्षेत्र
1.पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी अमरोहा नगर	अमरोहा नगर
		रजबपुर
		डिडौली
	क्षेत्राधिकारी धनौरा	धनौरा
		बछरायूं
		गजरौला
	क्षेत्राधिकारी हसनपुर	हसनपुर
2.अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा।		सैदनगली
		आदमपुर
		रहरा

	क्षेत्राधिकारी नौगावां सादात	नौगावां सादात
		अमरोहा देहात
		महिला थाना अमरोहा

1.2 जनपद में स्थित विभिन्न ईकाईयो के कार्यो के पर्यवेक्षण अधिकारी

क्0 सं0	ईकाई का नाम	पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी	पर्यवेक्षक पुलिस अधीक्षक
1	पुलिस रेडियो शाखा	पुलिस उपाधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
2	सीनीय अभिसूचना इकाई	पुलिस उपाधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
3	यातायात पुलिस	पुलिस उपाधीक्षक यातायात	पुलिस अधीक्षक
4	वी0आई0पी0	अपर पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक
5	पुलिस लाइन्स	पुलिस उपाधीक्षक लाइन्स	पुलिस अधीक्षक
6	भवन	पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
7	पत्र व्यवहार शाखा	पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
8	नगर नियंत्रण कक्ष	पुलिस उपाधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
9	फायर सर्विस अमरोहा	पुलिस उपाधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
10	फायर सर्विस गजरौला	पुलिस उपाधीक्षक धनौरा	पुलिस अधीक्षक
11	आंकिक शाखा	पुलिस उपाधीक्षक आंकिक	पुलिस अधीक्षक
12	अपराध शाखा	पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
13	महिला सहायता प्रकोष्ठ	पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
14	सिटीजन चार्टर	पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
15	विशेष जॉच प्रकोष्ठ	पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय	पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है 2 कवह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशो एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करे, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक अवदू ाण का निवारण करे, अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लाये।

2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द0प्र0सं0, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं :–

2क्1 पुलिस अधिनियम

धारा	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ 3 कवह33 ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें
17	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शान्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है 3 कवह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व नि पादन करे, लोक ान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक अबदू ण का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआ घर या भ्रट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य सीन में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा
25	लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति।
30क	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक सीलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुचाने, मार्ग पर गन्दगी व कुड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशि ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा 3 कवह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले लें
34 क	उपरोक्त अपराध के मन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है
47	ग्राम चौकीदारो पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व

2.2 पुलिस रेगुलेशन

प्रस्तर	कर्तव्य

12 से 16 पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हे स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तद्नुरूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हें विनिर्दि ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी वि यों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है। पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौपें जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबंधित अंतर्वि ट अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।
17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध व बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
24 रिजर्व सबइंस्पेक्टर	रिजर्व सब इन्सपेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्द एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।
43 से 50 थानाध्यक्ष	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्टरों, अभिलेखों, विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्वता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सभ्रान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर **पुलिस फार्म न0 299** भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।
51	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सौपे गये समस्त निर्देशों को अधीनस्थों को बताना, अन्वेषणकरना होता है।
55 हेड मोहर्रिर	**हेड मोहर्रिर के कर्तव्य** रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। हिन्दी रोकड़ बही **(पुलिस फार्म न0 224)** यदि पुलिस अधीक्षक आदेश 4 कवह4 **धारा 174 द0प्र0सं0** के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।

61 से 64 बीट आरक्षी	कान्स0 नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है। थाने पर सन्तरी ड्यूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोश तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स0 के रू5 कवह संदिग्ध अपराधियों, फरार अपराधी तथा खानाबदोश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।
65 से 69 सशस्त्र पुलिस	सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 से 83 घुड़सवार	घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गॉवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

2.3 दण्ड प्रकिया संहिता

द.प्र.सं. की धारा	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य
36	पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से वरिश्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियोंका प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
41	बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियॉ संज्ञेय अपराध की दशा में। कब्जे से गृह भेदन का उपकरण उद्घोंषितअपराधी चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा सशस्त्र बलों का भगोड़ा। भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध। छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर। वांछित अपराधी।
42	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी।
47	उस सीन की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रवि ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
48	गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति ।
49	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अव☺ नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
50	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
51	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।
52	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अकामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति ।
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का

	चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
54	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकिय परीक्षण किया जाना।
56	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
57	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्धन रखना।
58	बिना वारण्ट गिरफ्तारारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
60	अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति
100	बन्द सीन के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निशपादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे।
102	ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो।
129	उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति ।
130	ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।
131	जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति ।
132	धारा 129, 130, 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।
153	खोटे बॉट मापों का निरीक्षण/ अधिग्रहण।
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविशिट करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दि ष्ट करेगा।
156	संज्ञेय मामलों अन्वे षण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति ।
160	अन्वे षण के अनतर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
161	पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति ।
165	अपराध के अन्वे ाण के प्रयोजनों के लिए किसी सीन में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वे ाण के प्रायोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जब्ती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।
166	अन्वे ाणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वे ाण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।
170	जब साक्ष्य पर्यप्ति हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।

172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना।
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।
174	आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषणके प्रायोजन से व्यक्तियों को ामन करने की ाक्ति।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देश

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद के निर्णय में गिरफ्तारी या नि☺करण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये है।

1. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टिका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।
2. गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निः शुल्क दी जायेगी।
3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी।
4. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को नि☺ रखने के सीन के बारे में बताया जायेगा।
5. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के संबंध में सूचित करने वह अधिकृत है।
6. गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
8. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
9. गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।
10. जांच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
11. गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

2.5 सक्रिय एवं वांछित अपराधी संबंधी :–

9. सकिय एवं वांदित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गिरप्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबिश दिलवाना।
10. फाड अपराधियों के विरूद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

2.6अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण :–

11. पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु स्रोत बनाना।
12. जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।

13. जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
4. अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रीकरण।

14. <u>विशेा अपराधों के संबंध में :–</u>

15. समस्त विशेष अपराधों के घटना सील का निरीक्षण।
16. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
17. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस0आर0 केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती , फिरौती ,अपहरण, हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैंगस्टर एक्ट के केसों को छोडकर ा । समस्त एस0आर0 केस की क्रमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोडकर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

य–क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय सीापित करना।
र–फिक्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।
ल–क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह मे एक बार अर्दली रूम करना।

2.8 अभियोजन

न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर की मासिक बैठक तथा सेशन ट्रायल अभियोगो में विमुक्ति आख्या का विश्लेषण करना।

2.9 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्यः–

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय–समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा–निर्देश न प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल सें अपेक्षित कार्यो का सम्पादन किया जाता है।

3.निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर

3.1 अनुसंधान/विवेचना

क0 सं0	कार्यवाही	कार्य स्तर	अवधि
1	प्र0सू0रि0 का पंजीकरण	154 द0प्र0सं0 के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निः–शुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब

2	साक्षियों का परीक्षण	161 द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
3	अन्वेषण द्वारा घटना सील का निरीक्षण	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
4	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना सील का निरीक्षण	विशेष अपराधों की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना सील का निरीक्षण किया जाता है।	यथाशीघ्र
5	साक्ष्य का संकलन	द0प्र0सं0 के अनुसार	कार्यवाही यथाशीघ्र
6	नक्शा नजरी तैयार करना	द0प्र0सं0 के अनुसार	निरीक्षण के समय
7	अभियुक्तों की गिरफ्तारी	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
8	संस्वीकृति का लिखा जाना	,,	,,
9	पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	,,	,,
10	तलाशी	,,	,,
11	निरूद्धि	,,	,,
12	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	,,	,,
13	आरोप पत्र का दाखिल करना	,,	,,

3.2 नियन्त्रण कक्ष

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल संघटक के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्यों की सूचना प्राप्त करता है तथा सीनीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। अन्य अपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष सीपित हैं।

क्र0सं0	नियंत्रण कक्ष	टेलीफोन नं0	कार्य
1	जिला नियंत्रण कक्ष	05922–262580 / 100	जनपद के अन्तर्गत स्थित 12 थानों में सूचारू संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष पुलिस लाइन परिसर में स्थित है। जनपद में आपराधिक सूचनाओं के आदान–प्रदान, वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओ के आदान–प्रदान का उत्तरदायित्व जिला नियंत्रण कक्ष का होता है इसके अन्तर्गत हाईवे प्रथम एवं द्वितीय मोबाईल कार्यरत है।
2	फायर नियंत्रण कक्ष अमरोहा	05922–266101	जनपद में यह फायर नियंत्रण कक्ष अमरोहा में सीपित है। अग्निकाण्ड सम्बन्धी किसी भी सूचना पर फायर नियंत्रण कक्ष द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

3	फायर नियंत्रण कक्ष गजरौला	05922–252701	जनपद में यह फायर नियंत्रण कक्ष गजरौला जनपद अमरोहा में सीापित है। अग्निकाण्ड सम्बन्धी किसी भी सूचना पर फायर नियंत्रण कक्ष द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबुक में लाग किया जाता है तथा संबंधित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है।

3.4 फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणो की प्रक्रिया

क0 सं0	प्रति ठान	पत्र/आदेश प्राप्ति का सीन	निरीक्षण (द्वारा)	समयावधि
1	पेट्रोल/डीजल पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय से	अग्निशमन अधिकारी	15 दिवस
2	पेटी/डीलर (फुटकर डीजल /पेट्रोल)	जिलाधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय से	प्रभारी अग्निशमन अधिकारी	उपरोक्त
3	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
5	सिनेमा हाल	जिलाधिकारी/मनोरंजनकर अधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
6	होटल/लाज/रेस्टोरेन्ट धर्मशाला	जिलाधिकारी/पर्यअन अधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
7	व्यावसायिक भवन	कार्यालय विकास प्राधिकरण/ आवास विकास निगम	उपरोक्त	उपरोक्त
8	फैक्ट्री	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र	उपरोक्त	उपरोक्त

3.5 जनपद अमरोहा में यातायात नियमन

जनपद अमरोहा में यातायात डाईवर्जन करने के लिये कोई बाईपास की व्यवस्था नहीं है लेकिन श्रवण मास में नेशनल हाईवे पर कांवरियों की अपार भीड हो जाने पर रा ट्रीय राजमार्ग से आने जाने वाले वाहनों के आवागमन हेतु निम्न प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में यातायात डाईवर्जन श्रवण मास के प्रत्येक शनिवार की प्रातः 07:00 बसे से प्रत्येक सोमवार की दोपहर 12:00 बजे तक प्रभावी रहता है।

1–मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात

मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को मुरादाबाद क्षेत्रान्तर्गत कांठ, धामपुर, नगीना, बिजनौर, बैराज, मीरापुर, मवाना, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद होते हुये दिल्ली भेजा जाता है।

2–मुरादाबाद की ओर से मेरठ जाने वाला यातायात

मुरादाबाद से मेरठ की ओर जाने वाले भारी वाहनों को अतरासी रोड अमरोहा, नौगावां सादात, नूरपुर होते हुये आगे इसी मार्ग से मेरठ भेजा जाता है।

3–हापुड व मेरठ से रामपुर की ओर जाने वाला यातायात

हापुर व मेरठ से गढ के मध्य के रामपुर की ओर जाने वाले भारी वाहन गढ चौपला जनपद गाजियाबाद से डायवर्ट कर बुलन्दशहर, नरौरा (जनपद बुलन्दशहर) बबराला (जनपद बदायूं) बहजोई, चन्दौसी, बिलारी (जनपद मुरादाबाद), शाहबाद होते हुये रामपुर की ओर निकाला जाता है।

4–रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात

रामपुर की ओर से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को जनपद रामपुर क्षेत्रान्तर्गत ाहबाद से डायवर्ट कर बिलारी, चन्दौसी, बबराला, नरौरा होते हुये गन्तव्य को भेजा जाता है।

5–चान्दपुर (जनपद बिजनौर) से गजरौला होते हुये दिल्ली जाने वाला यातायात

चान्दपुर से गजरौला होते हुये दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों को बिजनौर मवाना, मेरठ, गाजियाबाद होते हुये दिल्ली भेजा जाता है।

6–अमरोहा से दिल्ली जाने वाला यातायात

अमरोहा से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को नूरपुर, बिजनौर, मेरठ, मवाना, गाजियाबाद होते हुये दिल्ली भेजा जाता है।

7–गजरौला से दिल्ली की ओर जाना वाला यातायात

गजरौला चौपला से दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों को अतरासी, अमरोहा, नूरपुर, चान्दपुर से हल्दौर, बिजनौर, मवाना, मेरठ, मोदीनगर से गाजियाबाद दिल्ली की ओर भेजा जाता है।

8–धनौरा, बछरायूं से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात

धनौरा से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को चान्दपुर, बिजनौर, मवाना, मेरठ होकर दिल्ली भेजा जाता है।

9–सम्भल से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात

सम्भल से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहानों को बहजोई, बबराला, डिबाई, बुलन्दशहर होते हुये दिल्ली भेजा जाता है।

10–हसनपुर से दिल्ली की ओर से नूरपुर जाने वाला यातायात

हसनुपर से दिल्ली की जाने वाले भारी वाहनों को सम्भल, बहजोई, बबराला, नरौरा, बुलन्दशहर भेजा जाता है अथवा अतरासी, अमरोहा, नूरपुर, चान्दपुर से हल्दौर , बिजनौर, मीरापुर, मवाना, मेरठ, मोदीनगर से गाजियाबाद होते हुये दिल्ली भेजा जा सकता है।

3.6 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 10/2020752/तीस–4–2020/01(सा0)2017 दिनांक 30.07.2020 एवं मोटर यान अधिनियम 1988 और केन्द्रयी मोटर यान नियमावली 1989 के अधीन(2019 के अधिनियम सं0 32 द्वारा यथासंशोधित) के अनुसार–

अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना

क्र. सं.	अपराध का विवरण	धारा	अधिकतम जुर्माना व सजा
1	मोटर चालक द्वारा बिना लाइसेंस गाडी चलाना	3/181	5000/-
2	किसी अवयस्क द्वारा मोटर गाड़ी चलाना या उससे चलवाना	4/181	25000/-
3	बिना लाइसेंस गाड़ी चलवाना	5/181	5000/-

4	बिना पंजीकरण गाड़ी को चलाना	39 / 192	प्रथम बार 5000/- द्वितीय बार 10000/-
5	बिना फिटनेस कराये गाडी चलाना	56 / 192	प्रथम बार 5000/- द्वितीय बार 10000/-
6	परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या बिना परमिट गाड़ी चलाना	66 / 192	10000/-
7	गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना	112 / 183	हल्का वाहन 2000/- मध्यम / भारी वाहन 4000/-
8	एक दिशा मार्गो के नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	2000/-
9	वैधानिक प्रतिबन्धो का उल्लघंन करना या यातायात नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	2000/-
10	शांति क्षेत्र में अज्ञाओं का उल्लंघन करना (वर्जित क्षेत्र)	115 / 194	2000/-
11	प्रतिबन्धित क्षेत्र में गाड़ी खडी करना	115 / 194	1000/-
12	बिना किसी संकेत के स्टेयरिंग का बायी तरफ होना	120 / 177	प्रथम बार 500/- द्वितीय बार 1500/-
13	यातायात चिन्हो का पालन न करना	119 / 177	प्रथम बार 500/- द्वितीय बार 1500/-
14	बिना संकेत के गाड़ी चलाना	121 / 177	प्रथम बार 500/- द्वितीय बार 1500/-
15	खतरनाक दशा में गाड़ी खडी करना जिससे यातायात बाधित हो	122 / 177	प्रथम बार 500/- द्वितीय बार 1500/-
16	गाड़ी की छत बोनट पायदान पर बैठकर यात्रा करना या ले जाना	123 / 177	प्रथम बार 500/- द्वितीय बार 1500/-
17	बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना	124 / 177	500/-
18	किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठाना	128 / 177	1000/-
19	बिना हेल्मेट के दुपहिया वाहन चलाना	129 / 177	1000/-
20	किसी मोटर चालक से लाइसेंस व गाडी के कागज मांगने पर पेंशन करना	130 / 177	प्रथम बार 500/- द्वितीय बार 1500/-
21	किसी कन्डेक्टर के द्वारा उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पेंशन कर पाना	130 / 177	प्रथम बार 500/- द्वितीय बार 1500/-
22	किसी टैक्सी या तिपहिया टैम्पो द्वारा सवारी ले जाने से इन्कार करना	178(3)	500/-

23	पुलिस अधिकारी द्वारा गाड़ी रोकने पर	132 / 179	2000/-
24	रुआप लाइन का उल्लंघन	17 / 177	—
25	दो षपूर्ण नम्बर प्लेट का वाहन में लगा होना	16 / 177	5000/-
26	अधिक धुऑ वाहन से निकलना	190(2)	10000/-
27	बिना इन्श्योरेंस के वाहन चलाना	146 / 196	2000/-
28	भार वाहन में पशुओं को ले जाना	59 / 177	10000/-
29	भार वाहन में अधिक यात्री बैठाकर चलाना	46 / 177	प्रथम बार 500/- द्वितीय बार 1500/-
30	पुलिस द्वारा दिये गये संकेतों का उल्लंघन	119 / 177	प्रथम बार 500/- द्वितीय बार 1500/-
31	बांये से गाड़ी को ओवरटेक करना	110 / 177	प्रथम बार 500/- द्वितीय बार 1500/-
32	वेतहाशा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना	184 / 202	5000/-
33	शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करके	185 / 202	10000/-
34	मालिक की बिना अनुमति के गाड़ी ले जाना अथवा चलाना	197 / 202	5000/-
35	चालक द्वारा अपने दाहिने बैठाकर वाहन चलाना	125 / 177	प्रथम बार 500/- द्वितीय बार 1500/-
36	गाड़ी के रनिंग बोर्ड में सवारी लादना, पायदान, छत पर, बोनट पर या गाड़ी के बाहर लटकाकर चलना	123 / 177	प्रथम बार 500/- द्वितीय बार 1500/-

उपरोक्त धाराओं में किसी भी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की ाक्ति, जनपद के हे0कां0 (प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रवि टयां की जाती है जो कि तीन विभिन्न रंगो की होती है। लाल रंग की प्रति को न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15 दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नही होता है तो संबंधित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनों को नि☺ किया जाता है जिनका समायोजन केवल संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड–

4.1 पुलिस आचरण के सिद्धान्त

18. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण नि ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये पूर्ण सम्मान करना।
19. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व नि पक्षता से नि पादन करना।
20. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तवयों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।

4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।

5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।

6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना 14 कवह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।

7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।

8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना।

21. प्रत्येक पुलिस जन वि ाम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
22. हृदय से विशि टता, विश्वसनीयता, नि पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
23. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
24. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
25. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता मे सोहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5. <u>कर्त्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख</u>

<u>क्र0सं0</u> <u>अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम</u>

26. पुलिस अधिनियम 1861
27. भारतीय दण्ड संहिता 1861
28. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

4. उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
5. उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
6. साक्ष्य अधिनियम 1872
7. आर्म्स एक्ट 1959
8. सिविल अधिकार संरक्षण अधि01955

29. अनु0जाति व अनु0जनजाति0 अधिनियम 1989
30. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधि0 1949
31. आवश्यक वस्तु अधि0 1955(उ0प्र0संशोधन अधि01978)
32. चोर बाजारी नि0 और आवश्यक वस्तु प्रद्य अधि0 1980
33. खाद्य अपमिश्रण नि0 अधि0 1954

14. उपभोक्ता संरक्षण अधि0 1986
15. पशु अतिचार अधि0 1861
16. भ्र ष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
17. बन्दी अधिनियम 1900

18. सर्वाजनिक जुआ अधिनियम 1867
19. किशोर न्याय अधिनियम 1986
20. दहेज प्रति ेध अधिनियम 1961
21. रा ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
22. स्वापक औ षधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
23. स्वापक औ षधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
24. बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930
25. लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
26. विस्फोटक अधिनियम 1884
27. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
28. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
29. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958
30. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
31. महिलाओं का अशि ट रूपण प्रतिशेघ अधिनियम 1986
32. भारतीय वन अधिनियम 1927
33. वन संरक्षण अधिनियम 1980
34. विधि वि☺ क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004
35. बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955
36. वि ा अधिनियम 1919
37. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
38. रा ष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रकिया विनयम 1994
39. रेल अधिनियम 1989
40. रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957
41. रेल सम्पत्ति (विधि वि☺ कब्जा) अधिनियम 1966
42. पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966
43. पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922
44. राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952
45. केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995
46. ब्याज अधिनियम 1978
47. उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986
48. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970
49. उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999
50. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970
51. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976
52. उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948
53. उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983
54. उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
55. उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944
56. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991
57. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
58. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955
59. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियामावली 1964
60. उत्तर प्रदेश गोशााला अधिनियम 1964

61. उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964
62. उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम 1994
63. सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000
64. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
65. वित्तीय हस्त पुस्तिका
66. समय–समय पर निर्गत शासनादेश
67. उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एव विनियमित करती है।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0 सं0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधो के संबंध में दी गई सूचनाएं एवं विवेचक के संबंध में	सभी पुलिस थानो पर
2	दैनिकी सामान्य	सभी अभियुक्तो की गिरफतारी पुलिस अधि0/कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में
3	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधि0/कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर
4	भगोडा(मफरूर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानो पर
5	रोकड बही	धनराशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी थाने/ पुलिस लाइन में
6	आरोप पत्र	अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर
7	चिक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है	सभी थाने पर
8	356 द0प्र0सं0 के अधीन दो. I सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	"
9	432 द0प्र0सं0 के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	"	"
10	गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट	थानाक्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	"
11	अपराध रजिस्टर	थानाक्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी थाने पर
12	चौकीदारो का अपराध नोट बुक	चौकीदारके ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदारो के पास

13	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर न0 8)	उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर
14	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का अल्लेख	सभी थानो/ पुलिस लाइन में
15	केस डायरी	विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानो/ विवेचको के पास
16	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट	सभी थाने पर
17	अगु ठ छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अगु ठदाप लिया गया है।	सभी थाने पर
18	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षेपीय अपराधो की सूचक	"
19	गिरोह रजिस्टर	पंजीकृत गैगो का विवरण	सभी थाने पर व डीसीआरबी में
20	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थानो पर
21	जांचोपरान्त 'अ'	थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	"
22	जांच पर्ची 'ब'	थानाक्षेत्र मे मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र	"
23	सूची हिस्ट्रीशीट	दुराचारियों का विवरण	"
24	पंचायतनामा जिल्द	अस्वाभाविक मृत्यु की जांच का विवरण	सभी थानो पर
25	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थानो पर व ााखाओं में
26	माल मसरूका रजिस्टर	चोरी/लूटी गई एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थानो पर
27	रिमाण्डशीट पु0प्रपत्र	अभियुक्तो को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थानो पर
28	मजिस्ट्रेटो के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटो के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थाने पर
29	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियो को पाबन्द कराने हेतु	"
30	110 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	"
31	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें	"
32	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में
36	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रों संबंधी निर्देश	"
37	अपराधी जनजातियों का रजिस्टर	अपराधियों जनजातियों के संबंध में	समस्त थानों पर
38	सकिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वार अनुमोदित क्षेत्र के सकिय अपराधों की सूची	"

39	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	”
40	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	”
41	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	”
42	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनों के संबंध में।	”
43	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियो के संबंध मे।	”
44	गिरफ्तारी रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना	”
45	जमानत रजिस्टर	दी जाने वाली जमानतों का विवरण	”
46	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण	”
47	जनशिकायत रजिस्टर	थाना कार्या0/अन्य कार्या0 में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	समस्त थानों/कार्यालय में
48	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में	समस्त थानों पर
49	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में	”
50	अवकाश रजिस्टर	आकसमिक अवकाशो का विवरण	समस्त कार्यालयो। में

6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0 सं0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी
1	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में
2	जेड रजिंस्टर	केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनाँक सहित संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में
3	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में
4	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में
5	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में
6	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशो का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में
7	विशेष अपराध पत्रावलियाँ	विशेष अपराधों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में
8	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में

6.3 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0 सं0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी
1	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
2	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
3	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
4	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशो का विवरण	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
5	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
6	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में

6.4 पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0 सं0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी
1	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	प्रधान लिपिक कार्यालय में
2	हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
3	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
4	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में
5	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय
6	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
7	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशो का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
8	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
9	सर्विस बुक/चरित्र पंजिका	समस्त रैंकों के कर्मचारियो। के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय
10	कैश बुक / पे–बिल रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेन–देन के संबंध में	आंकिक शाखा

11	आकस्मिकता निधि रजिस्टर	आकस्मिकता निधि पर भारित व्ययों के संबंध में	आंकिक शाखा
12	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार की मदों का कय व वितरण	पुलिस लाइन
13	हिन्दी आदेश पुस्तिका	समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है	पुलिस लाइन

7. जनता की परामर्श दात्री समितियां

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर निति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है–

क्र. सं.	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गो ठयों की आवृत्ति
1	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है	गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	समय–समय पर
2	पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेशनर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागो के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित जनपद के पत्रकारो की समितिं	पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6	ांति समिति	क्षेत्र के सम्भ्रान्त नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु	आवश्यकतानुसार
7	मेला समिति	मेले से संबंधित सम्भ्रान्त व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलो को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु	मेले के आयोजन से पूर्व
8	सांसद व विधायकगण की गो ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गो ठी	शिकायतों के निस्तारण व सुझाव/ परामर्श के लिये	मसिक

8. बोर्डों, परि ादों, समितियों और अन्य निकाय

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

34. जनपद अमरोहा के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर अधिकारियों तथा कर्मचारियो की टेलीफोन डायरेक्ट्री

पदनाम पुलिस अधिकारीगण	आवास नं0	कार्यालय नं0	मोबाइल नं0 (व्यक्तिगत)	सी.यू.जी. मो.नं0
पुलिस अधीक्षक, अमरोहा	263244	253288	–	9454400281
अपर पुलिस अधीक्षक,	–	252699	–	9454401068
क्षेत्राधिकारी अमरोहा नगर	–	292113	–	9454401537
क्षेत्राधिकारी धनौरा	–	264520	–	9454401538
क्षेत्राधिकारी नौगावां सादात	-	-	-	9454458237
क्षेत्राधिकारी हसनपुर	–	264240	–	9454401539
पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय/लाईन	–	253288	–	9454405261
पुलिस उपाधीक्षक अपराध/यातायात	–	–	–	9454458051
प्रतिसार निरीक्षक अमरोहा		–		9454402370
फायर सर्विस अमरोहा	–	266101	–	9454418541
फायर सर्विस गजरौला		252701	–	9454418542
अभिसूचना शाखा	–	–	–	9454402074
जिला नियंत्रण कक्ष	–	100		9454417375
प्रभारी निरीक्षक थाना अमरोहा नगर	–	262027		9454403670
प्रभारी निरीक्षक डिडौली	–	246005		9454403673
थानाध्यक्ष अमरोहा देहात	–	263808		9454403669
प्रभारी निरीक्षक नौगावां सादात	–	223234		9454403676
प्रभारी निरीक्षक धनौरा	–	273100		9454403672
प्रभारी निरीक्षक गजरौला	–	252700		9454403674
थानाध्यक्ष रजबपुर	–	245100		9454403677
प्रभारी निरीक्षक बछरायूं	–	273048		9454403671
प्रभारी निरीक्षक हसनपुर	–	264520		9454403675
थानाध्यक्ष सैदनगंली	–	240400		9454403678
थानाध्यक्ष आदमपुर	–	242100		9454403668
प्रभारी निरीक्षक रहरा				9454403679
प्रभारी निरीक्षक महिला थाना	–			9454404777

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

10.1 सशस्त्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र0सं0	पद	वेतनमान/पे बैण्ड	पौष्टिक आहार	वर्दी धुलाई

			भत्ता	भत्ता
1	पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा	रू0 15600 से 39100	—	25000 वर्दी मेंटेनेंस भत्ता प्रतिवर्ष
2	अपर पुलिस अधीक्षक	रू0 15600 से 39100	800	300
3	पुलिस उपाधीक्षक	रू0 15600 से 39100	800	300
4	निरीक्षक	रू0 9300 से 34800	1500	188
5	उप निरीक्षक	रू0 9300 से 34800	1500	188
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	रू0 5200 से 20200	1875	188
7	मुख्य आरक्षी	रू0 5200 से 20200	1875	188
8	आरक्षी	रू0 5200 से 20200	1875	188
9	अनुचर	रू0 5200 से 20200	1688	156

10.2 रेडियो शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र0 सं0	पद	वेतनमान/पे बैण्ड	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दीधुलाई भत्ता
1	रेडियो निरीक्षक	रू0 9300 से 34800	1500	188
2	रेडियो अनुरक्षण अधिकारी/ रे0 केन्द्र अधिकारी	रू0 9300 से 34800	1500	188
3	हेड आपरेटर	रू0 9300 से 34800	1500	188
4	सहायक परिचालक	रू0 5200 से 20200	1875	188
5	अनुचर /सन्देशवाहक	रू0 5200 से 20200	1688	156

10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क0सं0	पद	वेतनमान/पे बैण्ड	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1	अग्निशमन अधिकारी	रू0 9300 से 34800	1500	188
2	द्वितीय अग्निशमनअधिकारी	रू0 9300 से 34800	1500	188
3	लीडिंग फायरमैन/ हे0कां0 ड्रा0 फायर सर्विस	रू0 5200 से 20200	1875	188
4	फायरमैन	रू0 5200 से 20200	1875	188
5	अनुचर	रू0 5200 से 20200	1688	156

10.4 लिपिक वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र0 सं0	पद	वेतनमान/पे बैण्ड	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशेष भत्ता
1	एस0आई0 (एम0)	रू0 9300 से 34800	1500	188	—

2	ए0एस0आई0 (एम0)	रू0 5200 से 20200	1500	188	–
3	उर्दू अनुवादक यह कनिष्क लिपिक	रू0 5200 से 20200	–	–	–

10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र0 सं0	पद	वेतनमान/पे बैण्ड	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशेष भत्ता
1	मुख्य आरक्षी	रू0 5200 से 20200	1875	188	300
2	आरक्षी चालक	रू0 5200 से 20200	1875	188	300

10.6 स्थानीय अभिसूचना ईकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/ पारितोषिक

क्र0 सं0	पद	वेतनमान/पे बैण्ड	पौष्टिक आहार भत्ता	विशेष भत्ता
1	निरीक्षक अभिसूचना	रू0 9300 से 34800	1500	2000
2	उ0नि0 अभिसूचना	रू0 9300 से 34800	1500	2000
3	मुख्य आरक्षी अभिसूचना	रू0 5200 से 20200	1875	1000
4	आरक्षी अभिसूचना	रू0 5200 से 20200	1875	1000

11.बजट

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक	चालू वित्तीय वर्ष 2022–2023	
		अनुदान	व्यय
1	वेतन, महंगाई एवं अन्य भत्ते	1389273000	1055615630
2	(कार्यालय व्यय)	733000	733000
3	विद्युत देय	–	–
4	स्टेशनरी पर व्यय	316000	174028
5	फर्नीचर का क्रय एवं मरम्मत	214000	213956
6	डाक एवं तार पर व्यय	–	45000
7	टेलीफोन पर व्यय	–	–
8	पैट्रोल डीजल पर व्यय मोटर गाड़ियों की मरम्मत	16510000	16178721

9	किराया उप शुल्क कर	676000	400899
11	अनुरक्षण(विशेष मरम्मत)	5721000	—
10	पुरस्कार	—	—
12	एस0ए0एफ0	151000	150788
13	पुलिस कल्याण	172000	171970
14	कम्प्यूटर अनुरक्षण	142000	141769
15	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	7794000	7793905

12. सब्सिडी कार्यक्रम के निस्पादन का ढंग

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यकम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण

शून्य

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

15. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें

क्र0 सं0	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	अ0पु0अ0 / संबंधित क्षेत्राधिकारी (यदि क्षेत्राधिकारी मुख्यालय पर नही बैठते है तो संबंधित थाना प्रभारी) कार्यालय	प्रातः 10 बजे से शाम 17:00 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा व्यक्ति की जीवन रक्षा के संबंध में 48 घण्टे

4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रू0 प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रू0 प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रू0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त
6	सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्ति से सम्बंधित परिपत्रों को कार्यालय से पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा तथा अतिरिक्त प्रतियां होने पर अतिरिक्त शुल्क वहन करना होगा	सम्बंधित व्यक्ति	कार्यालय समय में

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रू0 अनाधिक) भी देय होगा।

16.लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम

जनपद अमरोहा पुलिस में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है :–

क्र0 सं0	जन सूचना अधिकारी का नाम व पद	सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम व पद	अपीलीय अधिकारी का पदनाम
	अपर पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा। (9454401068)	1. पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस कार्यालय, जनपद अमरोहा–(9454405261) 2. पुलिस उपाधीक्षक नगर जनपद अमरोहा (9454401537) 3. पुलिस उपाधीक्षक धनौरा–(9454401538) 4. पुलिस उपाधीक्षक हसनपुर–(9454401539) 5. पुलिस उपाधीक्षक नौगावां सादात (9454458237)	पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा (9454400281) 05922–253288

17. अन्य कोई विहित सूचना नही

....

8/2/24

(राजीव कुमार सिंह)
अपर पुलिस अधीक्षक /
जनसूचना अधिकारी
जनपद–अमरोहा।